प्रपत्र–6

"खाता दुरुस्ती आवेदन–पत्र"

(राज. भू. राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 136)

2022/349

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2021

विषयः– राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम डाबला कच्चरा की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 161, 163, 164 में मेरे ~~हरदेव~~ भैक पि० हरज्या चमार के बजाय भैक पि० हरजी बैरवा दर्ज कराना चाहता है

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

दिनांकः–

(.....)

रिपोर्ट–पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम डा० कच्चरा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 161, 163, 164 में प्रार्थी का नाम भैक पि० हरज्या चमार दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न दस्तावेज व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम भैक पि० हरजी (बैरवा) है। जो संशोधित किया जाना उचित है। (पिता का नाम स्पष्ट नहीं)

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

हरदेव लाल बैरवा
पटवारी डा० कच्चरा
शाहपुरा भीलवाड़ा (राज.)

भू0अ0नि0 शाहपुरा

रिपोर्ट तहसीलदार.....

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी डाबला कच्चरा व भू0अ0नि0 शाहपुरा एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम डाबला कच्चरा की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 की खाता संख्या 161, 163, 164 में प्रार्थी का नाम भैक पि० हरज्या चमार के बजाय भैक पि० हरजी बैरवा किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

तहसीलदार
तहसीलदार
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

आदेश

295/22
20/6/22

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम डाबला कच्चरा जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 खाता संख्या 161, 163, 164 में दर्ज प्रार्थी का नाम भैक पि० हरज्या चमार के स्थान पर भैक पि० हरजी बैरवा संशोधन के आदेश दिये जाते है।

प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)